संख्या-90/2021/465 /23-9-2021-05नाबार्ड(स0मा0)/2018

प्रेषक,

महेश कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

बलरामपुर।

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊ : दिनांक 25 मार्च, 2021

विषय- वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना के अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग के चालू कार्यो हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महादेय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता, गोण्डा के पत्र संख्या-2388 दे0क्ष0/16ब0ल0(मांग)-द0क्षे0/2020, दिनांक 20-03-2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत निम्नलिखित सूची के स्तम्भ-4 में उल्लिखित शासनादेश द्वारा स्वीकृत जनपद बलरामपुर के 01 चालू कार्य हेतु सूची के स्तम्भ-9 में उल्लिखित मांग रू0 72,60,000/- (रूपये बहत्तर लाख साठ हजार मात्र) के सापेक्ष स्तम्भ-10 के अनुसार रू0 72,60,000/- (रूपये बहत्तर लाख साठ हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कार्य का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत लम्बाई (कि0 मी0 में)	स्वीकृत लागत	अब तक आवंटन	अद्यतन अवशेष	क्षेत्र से की गयी मांग	वितीय वर्ष 2020-21 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बलराम पुर	एन0एच0-730 के कि0मी0-354 से तुलसीपुर मध्यनगर मार्ग के कि0मी0-2 से सोनाहाटी सम्पर्क मार्ग	65/2020/288/23-9-3020-12नाबार्ड(स0मा0)/2019टीसी, दि0 19.03.2020	2.00	132.00	49.40	72.60	72.60	72.60

2- उक्त धनराशि केवल उल्लिखित परियोजना पर ही मानक एवं विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

क्रमशः.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- नाबार्ड योजनान्तर्गत निर्माणाधीन मार्गों के गुणवत्तायुक्त निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट एवं गुणवत्तायुक्त पूर्णता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाय।

4- विभाग द्वारा प्रश्नगत परियोजना पर धनराशि नाबार्ड की शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय की जायेगी तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जाय।

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6- उक्त तालिका के स्तम्भ-4 में उल्लिखित शासनादेशों की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

7- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-27-कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गो/लघु सेतुओं के चालू कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था (नाबार्ड पोषित) (जिला योजना), 00, 24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020, दिनांक 07 अप्रैल, 2020 में प्राविधानित अधिकारों के अंतर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महेश कुमार)
संयुक्त सचिव

<u>संख्या उपरोक्त एवं तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- मुख्य विकास अधिकारी, बलरामपुर।
3- महाप्रबन्धक,राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, 11 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
4- प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष// वित्त नियंत्रक, लो0नि0वि0,लखनऊ ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
6- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0शासन ।
7- संबंधित अधिशासी अभियन्ता /कोषाधिकारी ।
8- लोक निर्माण अनुभाग-10।
9- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(महेश कुमार)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

shasanadesh.up.nic.in